संख्या–[illegible]

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक 28 फरवरी, 2013

विषय:–समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत वेतन बैण्ड एव ग्रेड वेतन तथा चयन/पदोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी विद्यालयों के ऐसे सहायक अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों, जो बेसिक शिक्षा परिषद के समान अर्हताधारी एवं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालय (अध्यापक की भर्ती, सेवा शर्तें व अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 यथा संशोधित अधिसूचना, 1977 के नियम–9 में विहित व्यवस्थानुसार नियुक्त किये गये हैं, को बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पद के समान उच्चीकृत वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तथा प्रधानाध्यापक पद के समान उच्चीकृत वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त शिक्षकों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के समान चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान एवं पदनाम परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये लागू शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जायेगा:–

क्र. सं.	पदनाम	शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2004 द्वारा स्वीकृत अपुनरीक्षित वेतनमान	उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड	सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
01.	**सहायक अध्यापक** साधारण वेतनमान	4500–7000	ग्रेड–3 6500–10500	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4200
	चयन वेतनमान	–	ग्रेड–2 7450–11500	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4600
	प्रोन्नत वेतनमान	–	ग्रेड–1 7500–12000	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4800

02.	प्रधानाध्यापक साधारण वेतनमान	5500—9000	ग्रेड—3 7450—11500	वेतन बैण्ड—2 9300—34800	4600
	चयन वेतनमान	—	ग्रेड—2 7500—12000	वेतन बैण्ड—2 9300—34800	4800
	प्रोन्नत वेतनमान	—	ग्रेड—1 8000—13500	वेतन बैण्ड—2 9300—34800	5400

नोट:— साधारण वेतनमान प्रस्तर—1 के अनुसार देय होंगे।

3. उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा चयन एवं पदोन्नति वेतनमान इन विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग द्वारा देय एकमुश्त अनुदान की धनराशि को आगणित/निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अनुमन्य किया जा रहा है। इसके आधार पर इन शिक्षकों द्वारा ऐसी किसी सुविधा का दावा अनुमन्य नहीं होगा, जिसे शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। इसे सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, समाज कल्याण विभाग का होगा।

4. उपर्युक्त उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—वे0आ0——2—1318/दस—59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—वे0आ0—2 /दस—2013, दिनांक फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सदाकान्त) 28/2/13

प्रमुख सचिव

संख्या—508(1)/26—2—2013—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1 एवं 2
5. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3
6. समाज कल्याण अनुभाग—1 एवं 3
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलम अहलावत)

विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

प0सं0 C/0 1975 /स0क0/शिक्षा—ब/उच्चीकृत वेतनमान/2012—13 लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।
5. नोडल अधिकारी (विधि), मुख्यालय।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. श्री पूर्णमासीदीन, प्रान्तीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, शिक्षक एसोशियेशन, अम्बेडकर शिक्षा निकेतन, बड़ी लाल कुर्ती, कैण्ट लखनऊ।

(हरि लाल पासी)

अपर निदेशक